

भारत के राजपत्र के
असाधारण अंक, भाग-II,
खंड 3, उप खंड (iii) में
तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-
110001

सं. 56/25/2024/पीपीएस-II (एनपी)

दिनांक: 23 मार्च, 2024
3 चैत्र, 1946 (शक)

अधिसूचना

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 56/2023/पीपीएस-II (एनपी), दिनांक 15 मई, 2023, समय-समय पर यथा-संशोधित, जिसमें निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के अनुसरण में निर्गत मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दलों के नाम विनिर्दिष्ट की गई है, को अद्यतनीकृत करने का निर्णय लिया है;

अतः, अब, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के अनुसरण में और भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (iii) में प्रकाशित अपनी पूर्वोक्त अधिसूचना सं. 56/2023/पीपीएस-II (एनपी), दिनांक 15 मई, 2023, समय-समय पर यथा-संशोधित, के अधिक्रमण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे संलग्न सारणी के अनुसार राष्ट्रीय दलों की सूची और उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक तथा उनके मुख्यालय के डाक पते विनिर्दिष्ट करता है:-